

लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल

RFP/ क्रं/CMR/1887

भोपाल, दिनांक – 31.03.2023

गैर-आवासीय बैठक/कार्यशाला/प्रशिक्षण हेतु ई-निविदा

1. लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत संचालित सीएम राइज़ योजना से संबंधित समय-समय पर आयोजित होने वाली गैर-आवासीय बैठकों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के लिए भोपाल शहर में स्थित शासकीय संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था/अशासकीय संस्थान/होटल से निम्न प्रयोजन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है –

1.1 निविदाकर्ता के पास अधिकतम 200 व्यक्तियों की क्लस्टर सिटिंग अथवा 300 व्यक्तियों की थियेटर सिटिंग सुविधायुक्त एयर कंडीशन्ड हॉल उपलब्ध हो।

1.2 स्वायत्तशासी संस्था/अशासकीय संस्थान/होटल होने की स्थिति में बैठक/कार्यशाला स्थल के परिसर का मालिकाना हक होने अथवा किराये पर संचालित किये जाने की स्थिति में स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट की प्रति हो जिसमें न्यूनतम 2 वर्ष के लिये जीवित अनुबंध किया गया हो तथा किसी भी प्रकार का विवाद न हो (इस आशय का प्रमाण तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्केन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा)।

1.3 हॉल में न्यूनतम दो पोडियम, चार माइक, दो बड़े स्पीकर एवं एक एलसीडी प्रोजेक्टर उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इसके लिए पृथक से चार्ज देय नहीं होगा।

1.4 एलईडी स्क्रीन, एलईडी टी.वी., जनरेटर, एम्पलीफायर आदि की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में इसके लिए पृथक से निविदा द्वारा दरे निर्धारित की जा रही है। निविदाकर्ता स्वयं भी इस निविदा में भाग ले सकते हैं, जिस संस्था/फर्म की दरे न्यूनतम होगी उसे कार्यादेश जारी किया जायेगा। निविदाकर्ता को इस कार्य हेतु अधिकृत संस्था/फर्म को आवश्यक सहयोग प्रदान करना अनिवार्य होगा एवं इस हेतु उन्हें आवश्यक विद्युत प्रदाय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।

1.5 परिसर में पुरुष एवं महिलाओं के पृथक-पृथक रनिंग वॉटर सुविधायुक्त टॉयलेट उपलब्ध हो।

1.6 शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध हो।

1.7 न्यूनतम 50 वाहनो के लिए पार्किंग की सुविधा हो एवं पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हो।

1.8 परिसर में लंच एवं हाई-टी हेतु पृथक से पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो जिसमें एक बार में न्यूनतम 150 व्यक्ति लंच व हाई-टी आदि ग्रहण कर सके। लंच की व्यवस्था Buffet System में किया जाना होगा।

1.9 वेज एवं नॉनवेज लंच की सुविधा उपलब्ध हो।

1.10 पर्याप्त क्षमता का जनरेटर उपलब्ध हो।

2. तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं नियम शर्तें :-

2.1 शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी उपक्रम, निजी संस्थान एवं होटल जिनके पास उपरोक्तानुसार सुविधाएं उपलब्ध हो वे ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

2.2 स्वायत्तशासी उपक्रम, निजी संस्थान एवं होटल को परिसर का मालिकाना हक हो अथवा किराये की स्थिति में स्टाम्प पेपर पर जीवित एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, ऐसे निविदाकार ही उक्त ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

2.3 तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा। जमा की पुष्टि हेतु दस्तावेज तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा। यह राशि ऑनलाईन <https://mptenders-gov-in/> के माध्यम से जमा होगी।

2.4 निविदाकार का गत तीन वर्षों (2020–21, 2021–2022, 2022–23) की बैलेंसशीट में कुल टर्नओवर न्यूनतम रु. 50 लाख (रु. पचास लाख मात्र) होना चाहिये, जिसकी पुष्टि हेतु सी.ए. द्वारा प्रमाणित एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज (सत्यापित प्रतियों सहित) तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.5 निविदाकर्ता को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.6 निविदाकर्ता एजेन्सी के बैंक खाते की जानकारी तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.7 निविदाकर्ता को अपने पैनकार्ड की प्रति को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.8 निविदाकर्ता का एसजीएसटी/सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में जमा की गई एसजीएसटी/सीजीएसटी की पावती को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.10 निविदाकार एजेन्सी को स्व-सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। सत्यापित प्रतिलिपियां असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात की जाकर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

2.11 तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित एजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

2.12 ई-निविदा प्रपत्र सफल निविदाकार से अनुबंध का एक भाग होगा एवं इसकी समस्त शर्तें अनुबंध में शामिल मानी जाएंगी।

2.13 तकनीकी बिड में पात्र पाए जाने वाली एजेंसी/संस्थान/होटल द्वारा बिड में दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से करवाया जाएगा। भौतिक सत्यापन में बिड की अर्हता पूर्ण करने वाली एजेंसी/संस्थान/होटल की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान

जानकारी गलत पाए जाने पर संबंधित एजेंसी/संस्थान/होटल की निविदा अमान्य करते हुए धरोहर राशि को राजसात किया जा सकेगा। इस हेतु आयुक्त लोक शिक्षण का निर्णय मान्य होगा।

2.14 आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी ई-निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।

2.15 निविदा प्रपत्र- अ में तकनीकी जानकारी तथा प्रपत्र-ब में वित्तीय जानकारी पृथक-पृथक देना अनिवार्य है।

2.16 निविदाकर्ताओं की दरें एक समान होने की स्थिति में जिस संस्था का तीन वर्षों का कुल टर्नओवर अधिक होगा, उसको पात्र माना जायेगा। इस हेतु समिति का निर्णय मान्य होगा।

2.17 बैठक/कार्यशाला/प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है या लंच व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर कुल देयक के 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगा। इसके अतिरिक्त एजेंसी/संस्थान/ होटल की लगातार 3 बार शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एजेंसी/संस्थान/होटल के साथ अनुबंध समाप्त करते हुए ब्लेकलिस्टेड किया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को राजसात कर लिया जायेगा।

2.18 यह निविदा कार्यादेश दिनांक से दो वर्ष के लिये मान्य होगी। नवीन दर निर्धारित होने तक अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन एजेन्सी को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2.19 संचालनालय द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक/कार्यशाला/ प्रशिक्षण के आयोजन की सूचना एल-1 फर्म को न्यूनतम 10 दिवस पूर्व दी जावेगी, जिसके तहत निर्धारित तिथि में हॉल व लंच आदि व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि में हॉल उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में धरोहर की राशि को राजसात किया जाकर ब्लेकलिस्टेड करने की कार्यवाही की जाएगी।

2.20 संस्थान/एजेन्सी/होटल द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय में प्रस्तुत किये गये देयक में से नियमानुसार टीडीएस कटौती कर भुगतान किया जावेगा। जीएसटी एवं अन्य टैक्स प्रावधानित होंगे। संस्था इस राशि को पृथक से इंगित करे जिनका भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।

2.21 वित्तीय निविदा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर का उल्लेख करना होगा। प्रतिभागियों की उपस्थित संख्या के मान से देयक का भुगतान किया जाएगा, कार्यादेश में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों की निश्चित संख्या का उल्लेख किया जाएगा, कार्यादेश में उल्लेखित संख्या से कम प्रतिभागियों की उपस्थिति पर निश्चित संख्या के मान से भुगतान किया जाएगा एवं उल्लेखित संख्या से अधिक प्रतिभागी उपस्थित होने पर प्रति प्रतिभागी हेतु निर्धारित दर के मान से भुगतान किया जाएगा।

2.22 वेज एव नॉनवेज लंच हेतु वित्तीय निविदा में पृथक-पृथक दरें प्राप्त की जाएंगी। निविदाकार को दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं हेतु दरे देना अनिवार्य होगा। केवल वेज अथवा केवल नॉनवेज की दर प्राप्त होने पर निविदा अमान्य की जाएगी।

2.23 दरों का निर्धारण प्रति प्रतिभागी प्रतिदिवस के मान से किया जाएगा। बैठक हॉल सहित निविदा में उल्लेखित अन्य सुविधाओं का किराया पृथक से देय नहीं होगा।

2.24 तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित एजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

2.25 निविदा कार्य से संबंधित अनुबंध के अनुसार कार्य/उत्तरदायित्वों के निष्पादन में किसी भी तरह की समस्या अथवा विवाद, उत्पन्न होने की स्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. का निर्णय मान्य होगा।

2.26 सभी विवादों के निराकरण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, भोपाल होगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

प्रपत्र-अ

तकनीकी प्रस्ताव

क्र.	विवरण	जानकारी	संलग्न दस्तावेज	पृष्ठ क्र.
1	निविदाकार एजेन्सी/संस्थान/होटल का नाम			
2	निविदाकार एजेन्सी/संस्थान/होटल के प्रमुख/मालिक का			

	नाम			
3	पूरा पता			
4	मोबाइल क्रमांक एवं दूरभाष क्रमांक			
5	ई-मेल पता			
6	तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज			
7	निविदाकार ऐजेन्सी/संस्थान/होटल का विगत तीन वर्षों (2020-21,2021-22,2022-23) की बैलेंस शीट में कुल टर्न ओवर न्यूनतम रु. 50 लाख (रु. पचास लाख मात्र) होना चाहिये, जिस की पुष्टि हेतु सी.ए. द्वारा प्रमाणित एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज			
8	निविदाकर्ता ऐजेन्सी/संस्थान/होटल को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशास./ निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आशय का प्रमाण पत्र			
9	निविदाकर्ता ऐजेन्सी/संस्थान/होटल के बैंक खाते की जानकारी को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।			
10	निविदाकर्ता अपने पैनकार्ड की प्रति को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।			
11	निविदाकर्ता का एसजीएसटी/सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।			
12	निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में जमा की गई जीएसटी/सीजीएसटी की पावती को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।			
13	निविदाकर्ता ऐजेन्सी/संस्थान/होटल का पंजीयन नम्बर व प्रमाण की प्रति पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।			
14	स्वायत्तशासी/अशासकीय संस्थान/होटल होने की स्थिति में निविदाकर्ता के पास परिसर का मालिकाना हक होने अथवा किराये पर संचालित किये जाने की स्थिति में स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट की प्रति हो जिसमें न्यूनतम दो वर्ष के लिये जीवित अनुबंध किया गया हो तथा किसी भी प्रकार का विवाद न हो उक्त प्रमाण मय दस्तावेजों को स्केन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा			
15	परिसर में सुरक्षाकर्मी एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधायुक्त है का प्रमाण पत्र स्केन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा			
16	हाल में क्लस्टर सिटिंग की अधिकतम बैठक क्षमता			
17	हाल में थियेटर सिटिंग की अधिकतम बैठक क्षमता			

18	पोडियम, माइक, स्पीकर एवं एलसीडी प्रोजेक्टर की उपलब्धता का प्रमाण पत्र			
19	वेज एवं नॉनवेज लंच की सुविधा उपलब्ध कराने का सहमति पत्र			
20	लंच एवं चाय हेतु हाल के बाहर उपलब्ध स्थान का क्षेत्रफल			
21	निविदाकर्ता एजेंसी/संस्थान/होटल का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।			

दिनांक:

स्थान :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदमुद्रा:.....

प्रपत्र-ब

वित्तीय प्रस्ताव

क्र.	विवरण	दर प्रति प्रतिभागी (राशि रुपये में) जीएसटी छोड़कर
1	केवल वेज लंच के साथ लंच व हाई-टी की दर (हाल किराया सहित) लंच व हाई-टी का मेन्यु इस प्रकार है – लंच:—सूप दो प्रकार के, सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की सब्जी(एक पनीरयुक्त एवं एक सीज़नल), एक प्रकार की दाल फ्राई, जीरा फ्राइड राइज़ अथवा पुलाव, तीन प्रकार की बटरयुक्त रोटी (तन्दुरी, नॉन एवं मिक्सी), दहीबड़ा, एक प्रकार की आइसक्रीम एवं एक प्रकार की मिठाई (गुलाबजामुन अथवा गाजर का हल्वा अथवा मूंग दाल का हल्वा अथवा रसमलाई) चाय:—प्रातः 11:00 बजे— चाय, कॉफी (शुगर क्यूब पृथक से) एवं दो प्रकार के कुकीज़ हाई-टी:—अपरान्ह 04:00 बजे— हाई-टी (चाय, कॉफी, मॉकटेल, कुकीज़ तथा कटलेट, असोर्टेड वेजिटेबल पकोड़ा, मिनी बर्गर, पाव भाजी, मूंगदाल मंगोड़े, सेंडविच में से कोई एक)	
2	केवल वेज लंच के साथ लंच व चाय की दर (हाल किराया सहित) मेन्यु इस प्रकार है – लंच:—सूप दो प्रकार के, सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की सब्जी(एक पनीरयुक्त एवं एक सीज़नल), एक प्रकार की दाल फ्राई, जीरा फ्राइड राइज़ अथवा पुलाव, तीन प्रकार की बटरयुक्त रोटी (तन्दुरी, नॉन एवं मिक्सी), दहीबड़ा, एक प्रकार की आइसक्रीम एवं एक प्रकार की मिठाई (गुलाबजामुन अथवा गाजर का हल्वा अथवा मूंग दाल का हल्वा अथवा रसमलाई) प्रातः की चाय:— 11:00 बजे— चाय, कॉफी (शुगर क्यूब पृथक से) एवं दो प्रकार के कुकीज़ अपरान्ह की चाय:— 04:00 बजे— चाय, कॉफी (शुगर क्यूब पृथक से) एवं कुकीज़	
3	नॉनवेज एवं वेज लंच के साथ लंच व हाई-टी की दर (हाल किराया सहित) लंच व हाई-टी का मेन्यु इस प्रकार है – लंच:—सूप दो प्रकार के, सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की वेज सब्जी(एक पनीरयुक्त ग्रेवीवाली एवं एक सीज़नल), दो प्रकार की नॉनवेज सब्जी (फिश, चिकन, मटन में से ग्रेवी वाली कोई दो), एक प्रकार की दाल फ्राई, जीरा फ्राइड राइज़ अथवा पुलाव, तीन प्रकार की बटरयुक्त रोटी (तन्दुरी, नॉन एवं मिक्सी), दहीबड़ा, एक प्रकार की आइसक्रीम एवं एक प्रकार की मिठाई (गुलाबजामुन अथवा गाजर का हल्वा अथवा मूंग दाल का हल्वा अथवा रसमलाई) चाय:—प्रातः 11:00 बजे— चाय, कॉफी (शुगर क्यूब पृथक से) एवं दो प्रकार के कुकीज़ हाई-टी:—अपरान्ह 04:00 बजे— हाई-टी (चाय, कॉफी, मॉकटेल, कुकीज़ तथा कटलेट, असोर्टेड वेजिटेबल पकोड़ा, मिनी बर्गर, पाव भाजी, मूंगदाल मंगोड़े, सेंडविच में से कोई एक)	

4	नॉनवेज एवं वेज लंच के साथ लंच व चाय की दर (हाल किराया सहित) का मेन्यु इस प्रकार है – लंच:—सूप दो प्रकार के, सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की वेज सब्जी(एक पनीरयुक्त ग्रेवीवाली एवं एक सीजनल), दो प्रकार की नॉनवेज सब्जी (फिश, चिकन, मटन में से ग्रेवी वाली कोई दो), एक प्रकार की दाल फ्राई, जीरा फ्राइड राइज़ अथवा पुलाव, तीन प्रकार की बटरयुक्त रोटी (तन्दुरी, नॉन एवं मिक्सी), दहीबड़ा, एक प्रकार की आइसक्रीम एवं एक प्रकार की मिठाई (गुलाबजामुन अथवा गाजर का हल्वा अथवा मूंग दाल का हल्वा अथवा रसमलाई) प्रातः की चाय:— 11:00 बजे— चाय, कॉफी (शुगर क्यूब पृथक से) एवं दो प्रकार के कुकीज़ अपरान्ह की चाय:— 04:00 बजे— चाय, कॉफी (शुगर क्यूब पृथक से) एवं कुकीज़	
5	केवल हाई-टी के साथ हॉल की व्यवस्था की दर – केवल एक सत्र (पूर्वान्ह अथवा अपरान्ह) में अधिकतम 4 घंटे की बैठक/कार्यशाला में हाई-टी (चाय, कॉफी, मॉकटेल, कुकीज़ तथा कटलेट, असोर्टेड वेजिटेबल पकोड़ा, मिनी बर्गर, पाव भाजी, मूगंदाल मंगोड़े, सैंडविच में से कोई दो)	

नोट:—पेयजल हेतु 200एमएल की ब्रांडेड कंपनी की पानी की बोतल की व्यवस्था बैठक/कार्यशाला के दौरान टेबल पर एवं चाय व लंच के समय भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जिसका पृथक से चार्ज देय नहीं होगा।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम:

पदमुद्रा: